राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत बली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार वर्मा पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— फोलोअप कैम्प भीम

प्रकरण सं. —01/2015 अ.ना. निर्णय दिनांक —18.07.2016

अनवान

1. श्री हीरासिंह पिता केशरसिंह, जाति रावत, आयु 30 वर्ष, निवासी नया बाडिया बली, तहसील भीम
2. श्री खीमसिंह पिता केशरसिंह, जाति रावत, आयु 30 वर्ष, निवासी नया बाडिया बली, तहसील भीम
3. श्रीमती नोजी पत्नि केशरसिंह जाति रावत, आयु 55 वर्ष, निवासी नया बाडिया बली, तहसील भीम

अपीलाण्टगण/—

बनाम

1. श्री हेमसिंह पिता पन्नासिंह, जाति रावत, आयु 30 वर्ष, निवासी नया बाडिया बली, तहसील भीम
2. श्री गोविन्दसिंह पिता चतरसिंह, जाति रावत, आयु 30 वर्ष, निवासी नया बाडिया बली, तहसील भीम
3. श्री मोहनसिंह पिता चतरसिंह, जाति रावत, आयु 30 वर्ष, निवासी नया बाडिया बली, तहसील भीम
4. श्रीमान तहसीलदार साहब, भीम (राजसमन्द)
5. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बली जस्साखेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

रेस्पोडेन्टगण/—

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1299 दिनांक 05.01.2000 ग्राम पंचायत बली जस्साखेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

महोदय जी,

उपरोक्त अपील प्रार्थना—पत्र में हम अपीलाण्टगण का निवेदन है कि—

1. यह कि मौजा बली, पटवार हल्का बली, तहसील भीम में निम्न विवरण आराजियात अपीलान्ट संख्या—01 व 02 के दादा एवं अपीलान्ट संख्या—03 के ससुर श्री पन्नासिंह पिता सींगा जी के खाते व कब्जे में स्थित होकर चली आ रही है तथा अपीलान्टगण के ससुर/दादाजी श्री पन्नासिंह जी के फौत होने के बाद उक्त आराजियात के वारिसान हम अपीलान्ट के पति/पिता श्री केसरसिंह पिता पनसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 होकर उक्त आराजियात पर सभी वारिसान संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते कराते आ रहे हैं तथा पन्नासिंह पिता सींगा जी के पुत्र केसरसिंह पिता पन्नासिंह जो कि हम अपीलान्ट के पति/पिता हैं उनकी दिनांक 07.09. 1997 को मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर उनके हिस्से की भूमि के हम अपीलान्टगण ही वारिस हैं—

—::विवरण आराजियात::—

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
158	1720	0	06	10	पेटा
	1758	0	15	00	पेटा
	1760	1	03	00	पेटा
	4501	0	07	00	बारानी 02
	5206	5	11	00	बंजड
	5223	0	02	00	बारानी 2
	5226	0	05	00	बारानी 1
	5858/4512	02	08	00	बंजड
कुल किता 8 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी					

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम जिला - राजसमन्द

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
925	4489	0	02	00	बारानी 2
	4490	0	03	10	बारानी 2
कुल किता 2 रकबा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी					

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
926	1764	0	10	00	बारानी 2
	1765	0	07	00	बारानी 2
	1766	0	04	00	बारानी 2
	1767	0	04	00	बारानी 2
	1768	0	09	00	बारानी 2
कुल किता 5 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा					

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
929	1761	0	13	00	बारानी 2
कुल किता 1 रकबा 13 बिस्वा					

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
927	1762	0	19	00	बंजड
कुल किता 1 रकबा 19 बिस्वा					

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
928	1763	1	05	00	बारानी 2
कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा					

2. यह कि अपीलान्टगण अपने पिता के फौत होने के बाद से उक्त भूमि शामिल खाते व कब्जे होने से संयुक्त रूप से काश्त करते–कराते चले आ रहे हैं तथा अपने पिता के फौत होने के पश्चात अपीलान्टगण उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो कि रिश्ते में अपीलान्टगण के काका/देवर हैं, के साथ–साथ अपना नाम भी खाते जमाबन्दी में विरासत द्वारा नामान्तरकरण खुलना मानकर काश्त करते–कराते आ रहे हैं तथा हम अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट का सजरा निम्न प्रकार है।

–::सजरा अपीलान्टगण::–

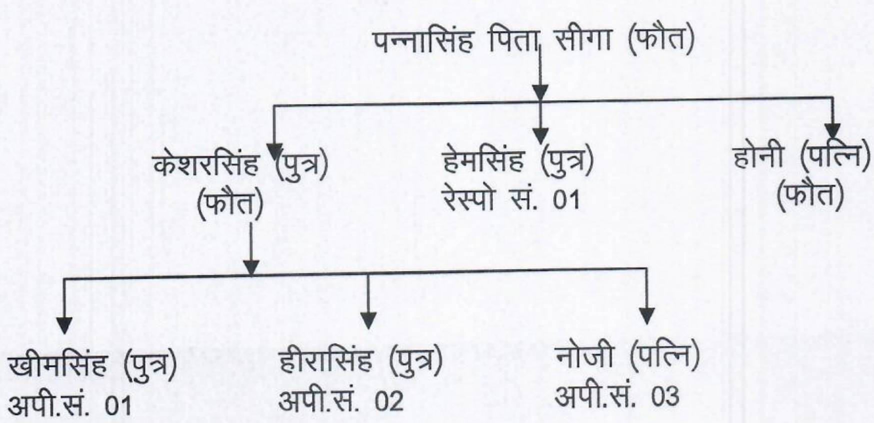

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

3. यह कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 27.12.2015 को हुई जब अपीलान्टगण अपने खाते की नकल लेने हेतु पटवारी के पास गये तो पता चला कि बिना अपीलान्टगण को पूछे बिना उनकी सहमति के बिना बनको सूचना दिये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने आप को हमारे दादा/ससुर श्री पन्नासिंह को इकलौता वारिस बता ग्राम पंचायत व पटवार हल्का को धोखे में रखकर गलत एवं गैर कानूनी रूप से अपलान्टगण के पिता श्री केशरसिंह जो कि पन्नासिंह के वारिस थे उनको पन्नासिंह का वारिस नहीं बता अपने आप को वारिस बता उपने नाम दाखिल–खारिज खुलवा दिया जबकि उक्त पन्नासिंह पिता सींगा के वारिसान में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अलावा हम अपीलान्टगण के पिता/पति भी वारिस थे तथा अपीलान्टगण के पिता/पति की मृत्यु के पश्चात अपीलान्टगण भी वारिस हैं जिन्हें पन्नासिंह की उक्त आराजियात में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के समान हक व अधिकार है।

4. यह कि हम अपीलान्टगण पन्नासिंह पिता सींगा के पुत्र श्री केशरसिंह पिता पन्नासिंह के पुत्र/पत्नि हैं तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अलावा हम भी श्री पन्नासिंह पिता सींगा जी के वारिस हैं जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने हमारा हक छीनने की नियत से उक्त गलत गैर कानूनी रूप से नामन्तरकरण अपने नाम खुलवा दिया जा कानूनी अवैध व प्रभाव शुन्य है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है वरना अपीलान्टगण अपनी मौरूशी भूमि से महरूम हो जावेंगे व व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगी।
5. यह कि उक्त रेसपोडेन्ट संख्या 01 जिसने कि हमारे दादा/ससुर श्री पन्नासिंह के सम्पूर्ण हिस्से की जमीन का अपने आप को पन्नासिंह का इकलौता वारिस बताते हुये गलत नामान्तरकरण खुलवा दिया है, अब वह अपने अपने सम्पूर्ण हिस्से के अन्यत्र बेचान करने पर आमादा हो रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 भी अपीलान्टगण को उनके हक व हिस्से की जमीन से बेदखल करने पर आमादा हो रहा है व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ मिलकर ताकत के बल पर कब्जा करना चाह रहा है जिससे अपीलान्टगण अपने मौरूषी में से उपने हकों से महरूम हो जायेंगे।
6. यह कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्टगण को प्रथम बार दिनांक 27.12.2015 को हुई जब अपीलान्ट अपने खाते की नकल लेने हेतु पटवारी के पास गयी तो पता चला कि जमीन तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मे नाम पर कर दी गयी है तथा उसके द्वारा सम्पूर्ण रिकार्ड निकलवाया गया व उसके पश्चात अन्दर अवधि यह अपील पेश कर रही है। फिर भी पृथक से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमा नामान्तरकरण संख्या 1299 दिनांक 05.01.2000 मौजा बली, पटवार हल्का बली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.) को निरस्त फरमाया जाकर मृतक पन्नासिंह पिता सींगा के खातेदारी–काश्तकारी आराजियात में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ–साथ हम अपीलान्टगण के नाम भी उक्त आराजियात के राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी में बतौर खातेदार–काश्तकार के रूप दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अतः अपील अपीलान्ट न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प भीम में पेश हुई। अपील अपीलान्ट इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि नामान्तरकरण संख्या 1299 दिनांक 05.01.2000 मौजा बली, पटवार हल्का बली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.) को निरस्त किया जाता है एवं मृतक पन्नासिंह पिता सींगा के खातेदारी–काश्तकारी आराजियात में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ–साथ हम अपीलान्टगण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द